भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2771

जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 25 मार्च, 2025/04 चैत्र 1947 (शक) को दिया जाना है।

लापता कर चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई

2771 श्री विवेक के. तन्खाः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कितने मामलों में कर चूककर्ताओं को लापता घोषित किया जा चुका है;

(ख) ऐसे मामलों में कुल कितनी कर राशि शामिल है; और

(ग) इन चूककर्ताओं का पता लगाने और उनसे बकाया राशि वसूलने के लिए सरकार द्वारा प्रवर्तन संबंधी कौन-से विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) तथा (ख): ऐसे मामलों की संख्या, जहां कर चूककर्ताओं को लापता घोषित किया गया है तथा कर की राशि शामिल है, इस प्रकार हैं:

	निर्धारितियों की संख्या	शामिल राशि (करोड़ रु. में)
प्रत्यक्ष कर	47,674	5,90,652.49
अप्रत्यक्ष कर	60,853	43,524.91
		(दिनांक 31/01/2025 तक)

(ग): कर चूककर्ताओं से बकाया वसूलने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उठाए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) विभाग द्वारा तैयार किए गए वसूली के लिए परिसंपत्तियाँ निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत लेनदेन विवरण तथा 360 डिग्री प्रोफाइल और एफआईयू-आईएनडी जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा बनाए गए डेटाबेस क्षेत्रीय इकाइयों को उपलब्ध कराना।
(ii) बकाया मांग को नियमित रूप से एकत्र करने/वसूली करने के लिए निर्धारण अधिकारी के प्रयासों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी करना।
(iii) सभी अधिकार क्षेत्रों में बकाया मांग के शीर्ष 5000 मामलों के संबंध में बकाया मांग संग्रहण/कमी की निगरानी करना।
(iv) वार्षिक नकद संग्रहण और मांग में कमी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्य प्रदान करना।
(v) वसूली के लिए कर वसूली अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश और स्थगन याचिकाओं से निपटने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

कर चूककर्ताओं से बकाया राशि वसूलने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सीबीआईसी के दिनांक 19.01.2022 के परिपत्र संख्या 1081/02/2022-सीएक्स के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अध्याय XV और XVI तथा अन्य संगत धाराओं के प्रावधानों के तहत कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे आयकर विभाग और विभिन्न बैंकों के साथ समन्वय करके, चूककर्ताओं के बैंक खातों को कुर्क किया जाता है।
(ii) इन चूककर्ताओं के बारे में वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी) से जानकारी मांगी जा रही है।
(iii) स्थानीय प्राधिकारियों (अर्थात् आर.टी.ओ./नगरपालिका/उप-पंजीयक/बैंक/बिजली प्रदाता आदि) के साथ पत्राचार किया जा रहा है, ताकि बकाएदारों की संपत्ति और अन्य विवरण निर्धारित किया जा सके और बकाया राशि की वसूली के लिए ई.डी.आई. प्रणाली में अलर्ट जारी किया जा सके।
(iv) एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. जैसे प्राधिकरणों को भी पत्र लिखे जा रहे हैं, ताकि उनके निवेशों का विवरण प्राप्त किया जा सके और वसूली शुरू की जा सके।
(v) जिन मामलों में बकाएदारों के पैन/बैंक खाते के विवरण की पहचान की गई है, उन मामलों में बैंकों के मुख्य अनुपालन अधिकारी/शाखा प्रबंधक को पत्र लिखे जा रहे हैं, ताकि सरकारी बकाया राशि की वसूली की जा सके।
(vi) बकाएदारों के सभी मामलों में, जहां उनका पता नहीं चल पा रहा है, आयुक्तालय/मंडल स्तर पर राज्य के राजस्व प्राधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है।
